बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन-0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, बेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक-नि॰प्रा॰/नि॰ 1-3/2019 1829 /पटना, दिनांक 15/11/2019

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सर्वोच्च प्राथमिकता

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पैक्स),
बिहार।

विषय : **निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) -सह- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी के द्वारा दावा आपत्ति निष्पादन से संबंधित मुखर आदेश पारित करने एवं अन्य मामलों के निष्पादन के संबंध में।**

महाशय,

प्राधिकार स्तर पर ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (पैक्स) द्वारा अपने कर्तव्यों का प्राधिकार के निदेशों के आलोक में सम्यक् रूप से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। आवेदकों को दूर से प्राधिकार मुख्यालय में आकर अथवा आवेदन भेजकर अपनी शिकायतें दर्ज करानी पड़ रही हैं। मूल शिकायतें निम्न प्रकार की हैं:-

1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (पैक्स) द्वारा आवेदकों का विहित प्रपत्र में आवेदन लेने से इन्कार किया जा रहा है।
2. जो आवेदन विहित प्रपत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (पैक्स) द्वारा प्राप्त किया गया है उस पर मुखर आदेश पारित कर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। केवल मौखिक रूप से किसी-किसी को कोई जबाव बता दिया जाता है। प्राधिकार द्वारा निदेशित है कि विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर नियमानुकूल मुखर आदेश पारित किया जाना अनिवार्य है तथा यदि आवेदक मुखर आदेश की प्रति पाना चाहे, तो सत्यापित प्रति उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
3. प्राधिकार द्वारा निदेशित किया जा चुका है कि दावा-आपत्ति निष्पादन तथा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी यदि किसी आवेदक का शिकायत विहित प्रपत्र में प्राप्त होता है तो अपडेशन की प्रक्रिया के तहत् आपत्ति स्वीकार कर उस पर नियमानुकूल मुखर आदेश पारित किया जाय। परन्तु पाया जा रहा है कि अपडेशन के तहत् विहित प्रपत्र में आवेदन लेने से इन्कार किया जा रहा है। यह उचित नहीं है।
4. ऐसी भी शिकायतें मिली है कि किसी आवेदक द्वारा मतदाता सूची मांगे जाने पर उसे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। निदेश दिया जाता है कि मतदाता सूची की मांग किये जाने पर प्रति पन्ना रू॰ 1.50 (एक रूपया पचास पैसा) की दर से शुल्क प्राप्त कर मतदाता सूची की प्रति उपलब्ध करायी जाय।
5. ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई है कि बूथ निर्धारण में भी अनियमितता की जा रही है। प्राधिकार द्वारा इस विषयक विस्तृत निदेश निर्गत किये जा चुके हैं। जिसका अनुपालन किया जाना है। बूथ निर्धारण के

संदर्भ में प्राधिकार के पत्रांक-869 दिनांक 14.06.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार दो सिद्धांतों पर जिला पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए:-

(क) विधि-व्यवस्था की संभावित स्थिति

(ख) मतदाताओं की सुविधा

अत: उपर्युक्त वर्णित निदेशों का अपने जिला स्तर पर कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कृपया अविलंब सभी निर्वाचन पदाधिकारियों (प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी) को अपने स्तर से प्राधिकार के आदेश से अवगत कराया जाए तथा अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक-यथोक्त।

15/11/19

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक: 1829 पटना, दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी/ सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/11/19

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक: 1829 पटना, दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि: सभी निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपर्युक्त निदेशों का पालन आपका ,दायित्व है। इसमें किसी प्रकार की कमी को प्राधिकार द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा। निदेशों के अनुपालन में किसी प्रकार की चूक होगी तो प्राधिकार स्तर से कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

15/11/19

मुख्य चुनाव पदाधिकारी